हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अक्तूबर, 2004

संख्या का0आ0 213/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 60/ 2004.– हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 60 की उप–धारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 वैब 16 /ह0अ0 6/2003/धा0 60 /2004, दिनांक 13 सितम्बर, 2004, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितिय संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम अक्तूबर, 2004 के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जायेंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 47 में, उप–नियम (1) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"सारणी

क्रम संख्या	भट्ठे की क्षमता	प्रवर्ग	निम्नलिखित अवधि के लिए कर के स्थान पर भुगतानयोग्य एकमुश्त कर
			01.10.2004 से 30.9.2005
1	2	3	4
1	33 संख्या की घोड़ी से अधिक क्षमता वाला ईंट भट्ठा	+क	33 घोड़ी से उपर 2,03,300/- रुपये जमा 7100/- रुपये प्रति अतिरिक्त घोड़ी
2	28 से 33 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	क	2,03,300/- रुपये
3	22 से 27 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	ख	1,58,800/- रुपये
4	22 संख्या से नीचे की घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	ग	1,27,100/- रुपये
5	30 सितम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान न जलाया गया ईंट भट्ठा, जिसमें प्रथम अक्तूबर के अन्त में भट्ठे के अन्दर तथा बाहर सभी प्रवर्गों की ईटों का स्टॉक पांच लाख से अधिक न हो।	घ	31,800/- रुपये

(टिप्पण : – यदि कोई भट्ठा दो स्थानों पर जलाए जाने वाले आकार का है, तो ऐसे भट्ठे के मालिक द्वारा भुगतानयोग्य एक मुश्त राशि की दर उपरोक्त दरों से दुगनी होगी) ।

व्याख्या.– "घोड़ी" लगभग 4" से 5" की ईटों पर अगले उसी प्रकार स्तम्भ खाना से अलग करते हुए ईंट की लम्बाई के बराबर ईंट की चौड़ाई का स्तम्भ खाना है तथा "घोड़ी की संख्या" इसकी पूरी चौड़ाई पर ईंट भट्ठे के पात्र की भीतरी तथा बाहरी दीवार के बीच के समायोजन को समर्थ बनाने वाले स्तम्भ खानों की संख्या है।"।

एल.एस.एम. सालिंस
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 26th October, 2004

No. S.O. 213/H.A. 6/2003/S. 60/2004. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. web 16/H.A. 6/2003/S.60/2004, dated the 13th September, 2004, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2004.

(2) These rules shall come into force with effect from 1st day of October, 2004.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, in rule 47, in sub-rule (1), for the existing table, the following table shall be substituted, namely:-

"Table

Serial No.	Capacity of kiln	Category	Lump sum tax payable in lieu of tax for the period 01.10.2004 to 30.9.2005
1	2	3	4
1.	Brick-Kiln of capacity of more than 33 number of Ghori	+A	Rs.2,03,300/- plus Rs. 7100/- per additional Ghori above 33 Ghories
2.	Brick- Kiln of capacity of 28 to 33 number of Ghori	A	Rs. 2,03,300/-
3.	Brick- Kiln of capacity of 22 to 27 number of Ghori	B	Rs. 1,58,800/-
4.	Brick- Kiln of capacity of below 22 number of Ghori	C	Rs. 1,27,100/-
5.	Brick- Kiln not fired during the year ending 30th September in which stock in and outside the Kiln as on 1st October last does not exceed five lakhs bricks of all categories.	D	Rs. 31,800/ -

(Note: -- If a Kiln is designed to be fired at two places, the rate of lump sum payable by the owner of such Kiln shall be double of the aforesaid rates).

Explanation.- " Ghori" is vertical column of bricks of width equalling the length of a brick separated from the next similar vertical column by a distance of about 4" to 5" and "number of ghori" is the number of vertical columns of bricks capable of being accommodated between the inner and outer wall of the vessel of a brick-kiln over its full width.".

L.S.M. SALINS
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.